ORIGINAL RESEARCH PAPER

Defense research

भारत–नेपाल खूली सीमा : एक चुनौती

KEY WORDS: तस्करी, मादक पदर्थ, हथियार, विस्फोटक पदार्थ

हंसराज शोधार्थी, रक्षा एवं स्त्रातेजिक विभाग, महर्षि दयानन्द विष्वविद्यालय, रोहतक

ABSTRACT

भारत–नेपाल के मध्य खूली सीमा एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुकी है क्योंकि खूली सीमा से अवैध व्यापार दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अवैध तस्करी के रूप में विस्फोटक पदार्थ, हथियार, जाली नोट, मादक पदार्थ आदि शामिल होते हैं। खूली सीमा होने के कारण यहाँ पर्याप्त चौकसी की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसका लाभ तस्कर अक्सर उठाते रहते है। खूली सीमा होने के कारण आतंकवादी भी भारतीय सीमा में घुस जाते हैं तथा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती है।

परिचय

नेपाल मध्य हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढालों पर स्थित है जिसके उत्तर एवं पूर्व क्षेत्रफल 1,41,577 वर्ग कि.मी. है। नेपाल पूर्व से पष्चिम 830 कि.मी. लम्बाई तथा औसत 160 कि.मी. चौड़ाई में फैला भारत का पड़ौसी एवं भूमिबद्ध देश है। इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत है। भारत के साथ इसकी भौगोलिक सीमायें मिली हुई है जब से तिब्बत चीन के प्रत्यक्ष शासन में आया है तब से नेपाल की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। निकट पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग के विषिष्ट संबंध को खूली सीमाओं और लोगों के मध्य आपसी संपर्क और संस्कृति के द्वारा लक्षित किया जाता है। सीमाओं के आर–पार मुक्त आवाजही का लम्बा इतिहास है। भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि, 1950 भारत और नेपाल के मध्य विषेश संबंधों का आधार है। इस संधि के उपबंधों के अंतर्गत नेपाली नागरिकों को भारत में अतुल्य लाभ मिले है। भारत और नेपाल के मध्य खूली सीमा दोनों देषों के मध्य एक चुनौती बनी हुई है। खुली सीमा आतंकियों और विद्रोहियों को आसान अधिगम प्रदान करती है।

1980 के दषक के अंत में सिक्ख और कष्मीरी आतंकियों ने नेपाल से भारत में प्रवेष किया था विगत में उल्फा, एन.डी.बी.एफ. और के.एल.ओ. ने खुली सीमा का दुरूपयोग किया है इससे पूर्व सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा माओवादियों की तलाष के दौरान वे प्रायः भारतीय सीमा में घुस जाते थे। विद्रोहियों और आतंकियों के अलावा अनेक खुंखार अपराधी खुली सीमा के कारण भाग जाते हैं। खुली सीमा से अवैध तस्करी बढ रही है। जिसमें अनेक वस्तुओं को चौरी छिपे सीमा से भारत में भेजा जाता है। जो एक चुनौती बनी हुई है।

तस्करी का एक सुगम मार्ग : नेपाल की खुली सीमा

नेपाल की खुली सीमा भारत में तस्करी का सुगम मार्ग है। चुंकि खुली सीमा होने के नाते यहाँ पर्याप्त चौकसी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए तस्कर इसका लाभ अक्सर उठाते रहते हैं। तस्करी के इन सामानों में विस्फोटक पदार्थ, हथियार, जाली नोट, मादक, पदार्थ आदि तक शामिल होते हैं। पाक खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. सहित अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों की भारत–नेपाल सीमा पर सक्रियता अब देष के समझ चुनौती बनती जा रही है। इन पर अंकुष लगाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियों की तैनाती का कोई मतलब नहीं रह गया है। आलम यह है कि सीमा पर सतर्कता के तमाम दावे को तार–तार कर अपराधियों ने तस्करी के लिए नो–मैन्स लैण्ड से गुजरने वाली डंडा नदी पर अपने खर्च से आने–जाने के लिए बास बल्ली के सहारे पुल बनवा लिया चौकाने वाली बात तो यह है कि इधर तस्करी के बड़े अड्डे की शक्ल ले चुका सुंडी गाँव नौतनवा बाईपास से महज, एक कि.मी. पष्चिम में स्थित है, लेकिन उबड़–खाबड़ रास्ते की वजह से वहाँ तक कोई चार पहिया वाहन नहीं पहुँच सकता। यह वही स्थान है जहाँ वर्ष 2004 में दिनेष लोधी नामक कुख्यात तस्कर को छह कुन्तल विस्फोट के साथ पकड़ा था। इस बरामदगी के बाद यह बात साफ हो गयी थी कि इस रास्ते से विस्फोटकों और हथियारों की भी तस्करी होती है। बताया जाता है कि सुंडी गाँव सहित तस्करी के रास्ते से दिन में सामानों की आवाजाही धीमी रहती है, लेकिन रात में 12 से तीन बजे के बीच शबाब पर पहुँच जाती है।

गृह मंत्रालय के अनुसार पड़ौसी देषों से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बलों द्वारा तस्करी के मकसद से जब्त किए जा रहे सामानों में नषीले पदार्थों के अलावा पषुओं की खालें, मुद्राएं, कपड़े, इलेक्ट्रानिक सामान, अवैध हथियार और बेषकीमती धातुएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी में बढ़ौत्तरी हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा नेपाल और बांग्लादेष की सीमा पर मादक पदार्थों को इधर से उधर करने के मामले सामने आये हैं। भारत–नेपाल की खुली सीमा पर 3305 तस्करी के मामले सामने आए और 356.21 करोड़ रूपये की कीमत के तस्करी के सामान को जब्त किया गया। जिसमें 3272 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

तस्करी की समस्या ने भारत–नेपाल संबंधों को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। प्रारंभ से ही दोनों देषों के बीच प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार एवं सीमा पर की चौरी के कारण अनेक मतभेद रहे हैं। नेपाल विदषी सामान का बाजार है और वहाँ अत्यधिक मात्रा में चीन, जापान, कोरिया आदि देषों से सामान मंगाया जाता है। वहाँ के बाजार में विदेषी सामान इकट्ठा हो जाता है। लेकिन नेपाली नागरिकों की क्रय क्षमता कम होने के कारण इस सामान की वहाँ बिक्री नहीं हो पाती। फलतः नेपाल के व्यापारी अपने यहाँ भारतीय व्यापारियों को सस्ते दामों पर वस्तुएं बेच देते हैं और फिर इन्हें भारतीय तस्कर अवैध ढंग से भारत पहुँचा देते है। नेपालियों का कहना है कि 90 प्रतिषत से अधिक कारोबार भारतीय मुद्रा में होता है। प्रतिदिन इस कारोबार में 1.7 करोड़ भारतीय मुद्रा सीमा पार चली जाती है।

दूसरी तरफ, नेपाल भारतीय वस्तुओं की भी तस्करी करके विष्व के अन्य देषों विषेशकर चीन को भेजता है। यह सम्पूर्ण अवैध व्यापार भारत और नेपाल के तस्करों के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस व्यवसाय में भारत को करोड़ों रूपये की क्षति उठानी पड़ती है। पहले दस सीमा चौकियों से आवागमन की सुविधा प्राप्त थी। लेकिन अब उसे बढ़ा कर 15 कर दिया गया है। इन सभी सीमा चौकियों से दोनों देषों में नागरिक बिना किसी पहचान पत्र के आवागमन कर सकते हैं। भारत–नेपाल की खुली सीमा से सरकारी आकड़ों के अनुसार 100 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का तस्करी के माध्यम से व्यापार होता था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता था।

नेपाल का अधिकांष व्यापार वहाँ के शाही सामन्त, अमीर, नेता और प्रमुखतः राजमहल से संबंधित लोगों के अधीन बहुत पहले से चलता आ रहा है। वर्तमान समय में खुली सीमा होने के कारण अफीम, गांजा, हेरोईन जैसी नषीली वस्तुओं, सिन्थेटिक कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं रिकार्ड प्लेयर्स, सी.डी. प्लेयर्स एवं हजारों चीन व जापान में निर्मित उत्पादों, भारतीय जूट व जूट के उत्पादों आदि चीजों का तस्करी से अवैध व्यापार हो रहा है। तस्करी की सूची में बिहार में शराबबंदी के बाद शराब और पखवाड़े भर से डीजल–पैट्रोल नए उत्पाद है। बार्डर के असंख्य लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। बिहार के पष्चिमी चम्पारण जिले के सुस्तन से वाल्मीकिनगर होते हुए रक्सौल तक के खुले नेपाल बार्डर का 120 कि.मी. का रास्ता नदी–नाले घने जंगल और पहाड़ों के बीच है। यहाँ से जमकर तस्करी हो रही है।

बार्डर पर चल रहा है बट्टा बाजार

रक्सौल कस्टम कार्यालय के सामने से रेलवे गुमटी के उस पार तक सड़क किनारे खुले में मनी एक्सजेंज की दुकाने, कतार में लगी हुई है। दुकानों पर 500, 200, 100, 50, 10 रूपए के नए–नए नोटों की गड्डी सजाकर रखी गई है। यहाँ पर सभी दुकाने अवैध तरीके से यहाँ मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। नेपाल के बीखोज में स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक में ही नोट बदले जाते हैं। लेकिन वहाँ 5000 से अधिक इंडियन करेंसी नहीं दी जाती है। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर कोई लिमिट नहीं है। नेपाल राष्ट्र बैंक में 160 रूपये का नेपाली नोट देने पर 100 रूपये का भारतीय नोट मिलता है, जबकि रक्सौल में अवैध तरीके से खुले मनी एक्सचेंज सेंटरों पर 164 रूपए नेपाली नोट देने पर 100 रूपए भारतीय नोट दिया जाता है। यहाँ पर लगभग 80 सेंटर इस धंधे में शामिल है।

मानव तस्करी

खुटौना प्रखंड की पँचायत लौकहा भारत–नेपाल सीमा से बिल्कुल सटी हुई है। अधिकृत रास्ते से यहाँ भारत से सेब, अंगूर और धान जाता है। थोड़ी ही दूरी पर बलान नदी है जो अभी सूखी हुई है। यह नेपाल और भारत के बीच मानव तस्करी का नया रूट है। नेपाल से लड़कियों का चोरी छिपे भारत में लाया जाता है। कुछ लड़कियों को पकड़ा भी गया है। लौकहा से छह महीने पहले दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू की गई, जिसके बाद से तस्करी बढ़ गई है। नेपाल से ज्यादा मानव तस्करी बार्डर इलाके के भारतीय गाँवों से देष के अन्य शहरों की ओर हो रही है। इसे रोकने के लिए एस.एस.बी. ने सोनबरसा पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और जोगबनी में जागृति बस की शुरूआत की है। 2018 में यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 23 मामले सामने आए हैं।

पशुओं की तस्करी

भारत–नेपाल बार्डर से लगता ठूठीबारी क्षेत्र इन दिनों पषुओं की तस्करी को लेकर काफी चर्चा में है। यह क्षेत्र पषु तस्करों का अवैध व्यवसायिक केन्द्र बना हुआ है। बड़े पैमाने पर सीमा क्षेत्र के अलग–अलग जगहों से बड़ी संख्या में गाय, बछड़ों व भैंस आदि पषुओं को भेजकर इस गोरखधंधे से जुड़े लोग मालामाल हो रहे हैं। सरहद के दोनों तरफ पषु तस्करों के मजबूत नेटवर्क को तोड़ने के नाम पर सुरक्षा एजेंसियाँ बेबस व लाचार नज़र आ रही हैं। सीमा पर एस. एस.बी. सहित तमाम एजेंसियों की तैनाती होने के बावजूद पषुओं की तस्करी आम बात है।

भारतीय अपराधियों एवं आतंकवादियों को नेपाली संरक्षण

महराजगंज जनपद से सटी 65 कि.मी. खुली नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेष पुलिस, एस.एस.बी. सहित आधा दर्जन से ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। कारण यह है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के आने–जाने के लिए इस सीमा के रास्ते काफी सुविधाजनक है। हाल के वर्षों में नौतनवा और सोनौली थाना क्षेत्र से ही नेपाल आते–जाते समय पुलिस द्वारा एक दर्जन कुख्यात आतंकियों की गिरफ्तारी की थी। वर्ष 1992 में सनौली पुलिस ने खालिस्तान एरिया फोर्स के कमाण्डर सुखबीर सिंह को मारूति समेत यही से पकड़ा था। वर्ष 1998–99 में नेपाल से भारत आते समय कुख्यात आतंकवादी कष्मीर लिब्रेषन फ्रंट के कमाण्डर बिलाल अहमद बट को नौतनवां पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनेक आतंकवादियों को भारत–नेपाल सीमा पर पकड़ा जा चुका है। खुली सीमा होने के कारण आतंकवादी भारत से नेपाल व नेपाल से भारत में आसानी से भाग जाते हैं। जो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।

पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के माध्यम से भारत में प्रवेष करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर वापिस भाग जाते हैं। नेपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस. आई. की गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। इंटेलीजेंस डॉजियर के मुताबिक पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने बिराटनगर में जिहादी तत्वों के रहने और फर्जी नेपाली पहचान–पत्र उपलब्ध कराने का इंतजाम किया है। नेपाल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए परेषानी का सबब बनता जा रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद से ही इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि न केवल कष्मीरी आतंकवादी बल्कि नार्थ ईस्ट के विद्रोही संगठनों के संबंध भी नेपाल से जुड़ते जा रहे हैं और वहां के आतंकी सेल के लगातार संपर्क में हैं, जो नेपाल और भारत की खुली सीमा का फायदा उठा रहे हैं।

भारत नेपाल सीमा की मुख्य चुनौती खुली सीमा की निगरानी करना और उसका दुरुपयोग रोकना है, जिससे कि अपराधी और आतंकवादी इसका फायदा उठा, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम न दे सके। आज के दौर में जब आतंकवाद के तौर तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आधुनिक इंटेलीजेंस का सहारा लिया जाए, क्योंकि यही एक तकनीक है, जिससे आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।

निश्कर्श

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत नेपाल खुली सीमा के संदर्भों में भारत के समक्ष नेपाल की और से चाहे अनचाहे कई प्रकार की चुनौतियाँ व समस्याएँ प्रस्तुत की जा रही है। इनमें से सीमाओं का सिकुड़ता स्वरूप, सीमा–अतिक्रमण, अपराधियों व तस्करों को संरक्षण, आई.एस.आई. का बढ़ता नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, देह–व्यापार, जाली नोटों का कारोबार, पषुओं की तस्करी आदि विषेश रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐसी स्थिति में भारत को अपने सुरक्षा संबंधी उपायों पर और भी अधिक ध्यान देना होगा तथा नये आवष्यक कदम भी उठाने होंगे। भारत–नेपाल सीमा की बाड़बन्दी करके इसकी पूर्ण चौकसी की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवागमन एवं व्यापार का कार्य सीमित चौकियों के माध्यम से हो, ताकि यहाँ से गुजरने वालों की सघन जाँच की जा सके। भारत नेपाल दोनों देषों के नागरिकों के आवागमन के नियमित परिचय–पत्र अथवा परमिट की प्रणाली लागू की जानी चाहिए। तस्करों एवं अवैध व अवांछित लोगों के आवागमन पर रोकथाम लगाई जा सके। अतः भारत को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे खुली सीमा समस्या से छुटकारा मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विपुल, अषोक कुमार, भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्यचुनौतियाँ, मंग्रो हिल ऐजुकेषन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई, 2017
2. कृष्णानन्द शुक्ल, भारत और एषियाई दंष, राधा पब्लिकेषन, नई दिल्ली, 2009
3. हरिभूमि, भारत में पड़ौसी देषों से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी, 25 सितंबर, 2017
4. अनुराधा तिवारी, भारत–नेपाल संबंध, वाराणसी
5. नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद, 13 अगस्त, 1970
6. सहारा समय, 6 दिसंबर, 1991
7. दैनिक भास्कर, सीमा पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध धंधा, हो रही है मानव तस्करी, दिनांक 3–6–2018
8. महारगंज न्यूज, सुरक्षा एजेंसियों की आँख में धूल झोंककर आधी रात भारत–नेपाल की खुली सीमा पर हो रहा गैर कानूनी काम, 8–6–2018
9. कृषानन्द शुक्ल, भारत और एषियाई देय, राधा पब्लिकेषन, नई दिल्ली, 2009
10. फर्स्टपोस्ट, पाक की नई साजिष : नेपाल में आतंकियों के पैर पासरने में आई.एस.आई. मदद कर रही है। 2–5–2018